अध्याय 6

निगमित सामाजिक दायित्व

6.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कम्पनी की अपने हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्धता है।

1992 में सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज़) के सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित मुद्दे की जांच की और पाया कि ""राज्य" का हिस्सा होने के नाते, प्रत्येक सार्वजनिक उद्यम (पीएसई) की नैतिक जिम्मेवारी है कि वह कल्याण राज्य को दिये गये सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए सक्रिय भूमिका निभाये, जो कि उद्यम के वित्तीय स्वास्थ्य के अधीन होगा"। कोपू की सिफारिशों पर आधारित, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवम्बर 1994 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों ने आवश्यक रूप से पीएसई के निदेशक बोर्ड पर छोड़ दिया कि अपने संबन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारोबार प्रथाओं को खोज निकाले।

6.2 सीएसआर पर डीपीई के नये दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

डीपीई ने 9 अप्रैल 2010 को सीएसआर पर नये दिशानिर्देश जारी किये, जो विशिष्ट और व्यापक थे जिसमें संबंधित सीपीएसई को सामाजिक और पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ एकीकृत करके सीएसआर के तहत कारोबार योजना बनाना अपेक्षित है। ये दिशानिर्देश सीएसआर के साथ सतत् विकास के लिंक पर ज़ोर देते हैं और सीएसआर को एक दर्शन के रूप में परिभाषित करते हैं जहां संगठन अपने कार्यकलापों के ग्राहकों, कर्मचारियों अंशधारकों, समुदायों तथा अपने परिचालनों के सभी पहलुओं में पर्यावरण पर प्रभाव की जिम्मेदारी लेकर समाज के हित की सहायता करते हैं।

दिशानिर्देश सीपीएसई द्वारा सीएसआर के लिए कार्यकलापों का जनादेश और कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं तथा कार्यकलापों, परियोजनाओं, व्यय और सीपीएसईज़ के सीएसआर पहलुओं के प्रलेखन और मानीटरिंग के लिए एक चार्टर के स्वरूप में हैं।

दिशानिर्देशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं विस्तृत रूप से नीचे दी गई हैं :

- ❖ सीएसआर योजनाओं/परियोजनाओं की डीपीई द्वारा पहचान के लिए निर्दिष्ट मापदंडों पर सीपीएसईज़ को विचार करना चाहिए।
- ❖ सीएसआर के तहत पहचानी गई परियोजनाएं विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए न कि उसके अपने स्टाफ द्वारा।
- ❖ सीएसआर कार्यकलापों को डील करने के लिए सीपीएसई को स्वतंत्र मण्डल, विभाग, अनुभाग, सैल आदि स्थापित करने चाहिए परन्तु स्टाफ वेतन सीएसआर बजट/व्यय का हिस्सा नहीं होगा।

- ❖ किसी सीएसआर परियोजना को आरम्भ करने से पहले सीपीएसई द्वारा सृजित किये जाने वाले बेसलाइन डाटा के संदर्भ में सीएसआर कार्य-कलापों का प्रभाव संभावित सीमा तक परिमाणित किया जाना चाहिए।
- ❖ सीएएसआर प्रस्तावों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यय, खरीद आदि से संसबंधित अतिसावधान प्रलेखन तैयार किया जाना चाहिए और उसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए (विशेषकर इंटरनेट के माध्यम से)।
- ❖ प्रत्येक सीपीएसइ में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति से संबंधित सीएसआर कार्यकलापों/परियोजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में एक पृथक पैराग्राफ/अध्याय शामिल होना चाहिए।

6.3 सीएसआर कार्य-कलापों का मानीटरिंग तंत्र

प्रत्येक सीपीएसई और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/ भारत सरकार के विभाग द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर प्रत्येक वर्ष हस्ताक्षर किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीई द्वारा वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारित एमओयू दिशा-निर्देशों में 5 *प्रतिशत* अनिवार्य भारिता के साथ "गैर-वित्तीय पैरामीटरों" के अधीन "सीएसआर" को आवश्यक तत्व के रूप मे शामिल किया गया था। चूंकि सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन एमओयू पैरामीटरों में विभाजित किया गया है, अतः प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि सीपीएसईज़, सीएसआर के अधीन अपना निष्पादन निर्धारित करने के लिए अपने लक्ष्य नियत करते हैं और इन कम्पनियों का निष्पादन नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

6.4 2011-12 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर बजट/व्यय में कमी

डीपीई के सीएसआर पर दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि एक बोर्ड संकल्प के माध्यम से निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में निम्नलिखित तरीके से सीपीएसई बजट अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष सृजित किया जाना चाहिए।

कर के उपरान्त निवल लाभ (पूर्व वर्ष) सीपीएसईज़ के प्रकार	*एक वित्तीय वर्ष में सीएसआर के लिए व्यय रेंज (कर के उपरांत निवल लाभ का प्रतिशत)*
(i)100 करोड़ से कम	3% - 5%
(ii) ₹ 100 करोड़ ₹ 500 करोड़	2% - 3% (₹ 3 करोड़ के न्यूनतम के अधीन)
(iii) ₹ 500 करोड़ से अधिक	0.5% - 2%

दिशानिर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया था कि बजट की बिना व्यय की गई राशि सीएसआर निधि में हस्तांतरित की जायेगी, जो संचित हो जायेगी और व्यपगत नहीं होगा। सीएसआर कार्य-कलापों के लिए हानि उठाने वाले सीपीएसईज़ अधिदेशित नहीं है।

110 सीपीएसईज़ के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान सीपीएसईज़ के द्वारा सीएसआर बजट/व्यय की लेखापरीक्षा समीक्षा की गई, जिसने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक निवल लाभ अर्जित किया । सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों के सीपीएसई की संख्या के रूप में अनुपालन की स्थिति, निवल लाभ के साइज़ के विभिन्न क्लासों के अधीन नीचे संक्षेप में दी गई है:

कर के उपरान्त निवल लाभ (2010-11 के दौरान रेंज)	डीपीई दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम राशि की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान सीपीएसईज की संख्या, जो सीएसआर के लिए व्यय/प्रावधान कर रहे हैं।			
	कुल	न्यूनतम अपेक्षित	कमी	अधिक
	(आंकड़े "सीपीएसईज की संख्या" में)			
₹ 500 करोड़ से अधिक	39	0	5	34
₹ 100 करोड़ - ₹ 500 करोड़	27	6	12	9
₹ 10 करोड़- ₹ 100 करोड़	44	6	30	8
कुल	**110**	**12**	**47**	**51**

मुख्य 10 सीपीएसईज़ का ब्यौरा, जो वर्ष 2011-12 के दौरान सीएसआर बजट/व्यय के लिए न्यूनतम अपेक्षा पूरी नहीं कर सके, नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ	दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय	सीएसआर पर व्यय की गई राशि	सीएसआर के लिए उपलब्ध की गई राशि	न्यूनतम निर्दिष्ट सीएसआर की तुलना में कमी
		2010-11	2011-12			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ = घ+ ड़. + ग)
1	इन्डियन रेलवे फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	485.20	9.70	0.01	3.00	-6.69
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1093.69	5.46	0	0	-5.46
3	मझगांव डॉक लिमिटेड	243.52	4.87	1.07	0	-3.80
4	कान्टेनर कॉरपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड	875.95	4.38	0.75	0	-3.63
5	कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड	227.53	4.55	1.58	0	-2.97
6	अन्तरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड	138.86	2.77	0	0	-2.77

7	गोवा शिपयार्डस लिमिटेड	176.13	3.52	0.79	0	-2.73
8	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	1176.63	5.88	3.26	0	-2.61
9	रेल टेल कॉरपोरेशन आफ इन्डिया	95.41	2.86	0.27	0	-2.59
10	मद्रास फर्टिलाइर्जस लिमिटेड	169.86	3.4	0.81	0	-2.57

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि:

- **₹10 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले 110 सीपीएसईज़ में से 47 सीपीएसईज़ ने न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय के रूप में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। इस प्रकार, सीपीएसईज की संख्या के रूप में अनुपालन लगभग 57 प्रतिशत था।**
- **₹10 करोड़ और ₹100 करोड़ के बीच लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में अनुपालन आशाप्रद नहीं था क्योंकि 44 सीपीएसईज में से 30 ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।**
- **₹100 करोड़ और ₹ 500 करोड़ के बीच लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में अनुपालन संतोषजनक नहीं था, क्योंकि 27 सीपीएसईज़ में से 12 सीएसआर बजट/व्यय की न्यूनतम अपेक्षा का पालन करने में विफल रहे ।**
- **तथापि, बड़े सीपीएसईज़ जिन्होंने ₹ 500 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित किया, के बीच अनुपालन आशाप्रद था क्योंकि 39 सीपीएसई में से केवल 5 में कमी थी और 34 सीपीएसईज़ ने सीएसआर के लिए न्यूनतम अपेक्षा से अधिक राशि व्यय/उपलब्ध कराया था।**

6.5 सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों में अप्रैल 2013 से प्रभावी परिवर्तन

डीपीई ने सीएसआर पर अपने दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया है जोकि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में नीति सामग्री में बड़ी मात्रा में निषेचन हुआ है। सरकार सहित मुख्य हितधारकों की आशाएं सीएसआर के नीतिगत निर्णय तथा निरंतरता का निर्माण करती है।

संशोधित दिशानिर्देशों में हुए मुख्य परिवर्तन नीचे दर्शाए गए हैं:-

- सीपीएसईज से आशा की जाती है कि वे अपने आन्तरिक परिचालनों, क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं के साथ ही साथ बाह्यों के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरता के सभी पहलुओं पर एक समान संतुलित भार बनाते हुए अपनी नीतियों को तैयार करें। पुराने दिशानिर्देश मुख्यतः बाहरी हितधारकों के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर केन्द्रित थे।
- सीपीएसईज को पिछड़े जिले के विकास के लिए आवश्यक रूप से एक बड़ी परियोजना शुरू करनी है।

- सीपीएसईज से पूरे समय सामाजिक उत्तरदायित्वों में रह कर आचरण करने की आशा की जाती है। सीपीएसईज को अपने कारबारी के सामान्य क्रियाकलापों में भी प्रयास करना चाहिए कि व्यापार इस प्रकार से किया जाए कि वह व्यापार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।

- मंडल स्तरीय समिति तथा एक वरिष्ठ अधिकारी जो मंडल स्तर से नीचे एक रैंक से कम न हो, के नेतृत्व वाले द्विस्तरीय ढांचे जिसका गठन सीपीएसईज हेतु अनिवार्य है, से आशा की जाती है कि उसके पास इतना अधिकार एवं प्रभाव हो जो सीएसआर तथा सीपीएसई की स्थिरता की कार्यसूची को सम्भाल सके।

- पूरे वर्ष के लिए सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण क्रिया कलापों के लिए आवंटित बजट के पूरी तरह उपयोग न कर पाने के लिए सीपीएसईज को कारण बताने होंगे।

- उनकी संख्या की बजाए अब सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण परियोजना पर उनके आकार तथा प्रभाव के लिए उसकी मापक्रमणीयता पर जोर दिया जाता है।

- संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा कम्पनी द्वारा अपनी सीएसआर तथा निरंतरता बजट से बनाई गई मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति कर्मचारियों को प्रदान की गई है बशर्ते सुविधाएं मूल रूप से बाहरी हितधारकों के लिए अनिवार्य रूप से बनाई गई हों, तथा सीपीएसईज के कर्मचारियों (आन्तरिक हितधारकों) द्वारा सुविधा का उपयोग प्रतीतात्मक है तथा लाभधारियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से कम तक सीमित रहे।

- विगत वर्ष में कर उपरान्त ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसईज के लिए सीएसआर तथा स्थिरता के कार्यकलापों के लिए बजट का आबंटन पहले 0.5% -,2% के बीच से 1% - 2% तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष कर उपरान्त ₹ 100 से ₹ 500 करोड़ तक का लाभ कमाने वाले सीपीएसईज के लिए, सीएसआर हेतु बजट की न्यूनतम आवश्यकता हटा दी गई है।